कार्यालय कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा, जिला–राजनांदगांव

संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

क्र/918/MGNREGA/संविदा भर्ती/2011, राजनांदगांव, दिनांक 23/11/2011

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर के पत्र क्र. /778/प.ग्रा.वि.वि./रायपुर दिनांक 02.04.2011 एवं आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा छ.ग. रायपुर के पत्र क्र. /2267/वि–7/MGNREGA/167/2011 रायपुर दिनांक 01.10.2011 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत जिला/जनपद पंचायत स्तर पर अधोवर्णित पदों व उनके सम्मुख दर्शायें विवरण अनुसार रिक्त पद हेतु दिनांक 29/02/2012 तक की अवधि के लिए **संविदा (निष्चित वेतनमान पर)** नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं, विशेष योग्यता सहित वांछित योग्यताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 09/12/2011 को सायं 5.30 बजे तक सम्पूर्ण योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आमंत्रित किये जाते हैः–

पदों का विवरणः–

क्र.	पद का नाम	पुनरीक्षित संविदा एक मुश्त वेतन (प्रतिमाह)	अनारक्षित					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					अन्य पिछडा वर्ग					योग				
			मुक्त	महिला	निःशक्त	भू.पू.से	योग	मुक्त	महिला	निःशक्त	भू.पू.से	योग	मुक्त	महिला	निःशक्त	भू.पू.से	योग	मुक्त	महिला	निःशक्त	भू.पू.से	योग	मुक्त	महिला	निःशक्त	भू.पू.से	योग
जिला पंचायत हेतु :–																											
1	समन्वयक (शिकायत निवारण)	18840/-	1	0	0	0	**1**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**1**	0	0	0	**1**
2	सहायक (शिकायत निवारण)	11820/-	1	0	0	0	**1**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**1**	0	0	0	**1**
3	समन्वयक (सामाजिक अंकेक्षण)	18840/-	1	0	0	0	**1**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**1**	0	0	0	**1**
4	सहायक (सामाजिक अंकेक्षण)	11820/-	1	0	0	0	**1**	0	0	0	0	**0**	1	0	0	0	**1**	0	0	0	0	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**
5	समन्वयक (तकनीकी)	18840/-	1	0	0	0	**1**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**1**	0	0	0	**1**
6	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	18840/-	1	0	0	0	**1**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**1**	0	0	0	**1**
7	समन्वयक (प्रशिक्षण)	18840/-	1	0	0	0	**1**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**1**	0	0	0	**1**
8	पर्यवेक्षक एवं मूल्यांकन विशेशज्ञ	18840/-	1	0	0	0	**1**	0	0	0	0	**0**	1	0	0	0	**1**	0	0	0	0	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**
9	समन्वयक (वित्त सेवाएं)	23200/-	1	0	0	0	**1**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**1**	0	0	0	**1**
योग			9	0	0	0	9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
जनपद पंचायत हेतु :–																											
1	समन्वयक (सामाजिक अंकेक्षण)	12740/-	3	2	0	0	**5**	1	0	0	0	**1**	1	1	0	0	**2**	1	0	0	0	**1**	6	3	0	0	**9**
2	सहायक (सामाजिक अंकेक्षण)	9120/-	5	3	0	1	**9**	1	1	1	0	**3**	3	1	0	0	**4**	1	1	0	0	**2**	10	6	1	1	**18**
3	समन्वयक (तकनीकी)	13700/-	3	2	0	0	**5**	1	0	0	0	**1**	1	1	0	0	**2**	1	0	0	0	**1**	6	3	0	0	**9**
योग :–			**11**	**7**	**0**	**1**	**19**	**3**	**1**	**1**	**0**	**5**	**5**	**3**	**0**	**0**	**8**	**3**	**1**	**0**	**0**	**4**	**22**	**12**	**1**	**1**	**36**

क्रमशः 2 पर...............

शैक्षणिक योग्यताः— (जिला हेतु)

1. **समन्वयक षिकायत निवारण (जिला हेतु)—**
(अ) प्रथम श्रेणी में एम.बी.ए. (ग्रामीण प्रबंधन/ग्रामीण विकास) PGDRM/PGDRD/सामाजिक कार्य (MSW)/सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर ।

2. **सहायक (षिकायत निवारण) (जिला हेतु) —**
(अ) एम.बी.ए. (ग्रामीण प्रबंधन/ग्रामीण विकास) PGDRM/PGDRD/सामाजिक कार्य (MSW)/सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर ।

3. **समन्वयक (सामाजिक अंकेक्षण) (जिला हेतु)—**
(अ) प्रथम श्रेणी में एम.बी.ए. (ग्रामीण प्रबंधन/ग्रामीण विकास) PGDRM/PGDRD/सामाजिक कार्य (MSW)/सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर ।

4. **सहायक (सामाजिक अंकेक्षण) (जिला हेतु)—**
(अ) एम.बी.ए. (ग्रामीण प्रबंधन/ग्रामीण विकास) PGDRM/PGDRD/सामाजिक कार्य (MSW)/सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर ।

5. **समन्वयक (तकनीकी) (जिला हेतु)—**
(अ) प्रथम श्रेणी में बी.ई./बी.टेक.(सिविल/कृषि अभियांत्रिकी) उपरोक्त विषयों में उच्चतर अर्हता प्राप्त अभ्यार्थियों को प्राथमिकता ।

6. **कम्प्यूटर प्रोग्रामर (जिला हेतु)—**
(अ) प्रथम श्रेणी में बी.ई. कम्प्यूटर साईंस/एम.सी.ए./एम.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस एवं डाट नेट टेक्नालाजी/जावा/एम.एस.एस.क्यू.एल./ओरेकल का ज्ञान ।

7. **समन्वयक (प्रषिक्षण) (जिला हेतु)—**
(अ) प्रथम श्रेणी में बी.टेक./बी.ई.(सिविल/कृषि अभियांत्रिकी)/एम.एस.सी.(कृषि/वानिकी)/एम.बी.ए.(एच.आर.) उपरोक्त विषयों में उच्चतर अर्हता प्राप्त अभ्यार्थियों को प्राथमिकता ।

8. **पर्यवेक्षक एवं मूल्यांकन विषेषज्ञ (जिला हेतु)—**
(अ) प्रथम श्रेणी में बी.ई./बी.टेक. आई टी/एम.एस.सी. सांख्यिकीय, विषयों में उच्चतर अर्हता प्राप्त अभ्यार्थियों को प्राथमिकता ।

9. **समन्वयक (वित्त सेवाएं) (जिला हेतु)—**
(अ) सी.ए./ICWA ।

10. **समन्वयक (सामाजिक अंकेक्षण) (जनपद हेतु) —**
(अ) एम.बी.ए. (ग्रामीण प्रबंधन/ग्रामीण विकास)/PGDRM/PGDRD/सामाजिक कार्य (MSW)/सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर ।

11. **सहायक (सामाजिक अंकेक्षण) (जनपद हेतु) —**
(अ) एम.बी.ए. (ग्रामीण प्रबंधन/ग्रामीण विकास)/PGDRM/PGDRD/सामाजिक कार्य (MSW)/सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर ।

12. **समन्वयक (तकनीकी) (जनपद हेतु)—**
(अ) बी.ई./बी.टेक.(सिविल/कृषि अभियांत्रिकी) ।

13. उपरोक्त सभी पदों में निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है।

14. सेवानिवृत्त व्यक्ति की संविदा नियुक्ति के मामले में सेवानिवृत्त के पूर्व धारित पद के समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता का बंधन नहीं होगा।

क्रमशः 3 पर..............

अन्य शर्ते निम्नानुसार होगी–

1. छ.ग.शासन के नियमानुसार विकलांग, महिला एवं भू.पू.सैनिकों के लिये उक्त रिक्त पदों में समस्त आरक्षण दिया जावेगा।
2. आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग अभ्यार्थी प्राप्त नहीं होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से पद भरे जा सकेंगे।
3. संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संविदा नियुक्ति नियम 2004 में निहित शर्तो के अनुसार की जावेगी।
4. **संविदा नियुक्ति दिनांक 29/02/2012 तक के लिये होगी ।** तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षो की सहमति से कार्यावधि बढाये जाने पर विचार किया जा सकता है ।
5. संविदा नियुक्ति पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी एवं बिना कारण बताएं कभी भी समाप्त की जा सकती है ।
6. सेवा समाप्ति के बाद कर्मियों को किसी भी प्रकार की पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
7. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8. <u>आयु सीमा</u> :– आवेदक की आयु **दिनांक 01.10.2011** की स्थिति में **न्यूनतम 18 वर्ष होगी एवं शासन द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा एवं छुट लागू होगी।**
9. अजा/अजजा/पि.वर्ग के जाति की पुष्टि में आवेदक को प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।
10. **चयन प्रक्रिया –**

    विज्ञापित प्रत्येक पद के लिए आवेदक का चयन निर्धारित अंक योजना के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जावेगा। सभी पदों के लिये कम्प्यूटर/टाइपिंग, प्रायोगिक परीक्षा हेतु बुलाया जावेगा एवं प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंको को शैक्षणिक योग्यता के अंको के साथ सम्मिलित कर मेरिट अनुसार चयन किया जावेगा।
11. आवेदन निर्धारित प्रारुप में ही जमा किया जावे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची छ.ग. शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये । वांछित प्रमाण पत्र नहीं होने पर आवेदन अमान्य किया जावेगा । आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को पृष्ठांकित कर उसे सूची सहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावे ।
12. अनुभव प्रमाण पत्र के साथ शासन/विभाग/नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ति आदेश की कापी जमा करना होगा।
13. आवेदन पत्र में पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चिपकाना अनिवार्य है।
14. प्रत्येक पद के लिये पृथक–पृथक आवेदन किया जाना होगा।
15. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई सूचना नहीं दी जायेगी एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
16. लिफाफे के ऊपर पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है को स्पष्ट उल्लेख किया जावे। अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार लिफाफे के ऊपर प्रेषक के नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखें, आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 02 खाली लिफाफा भी संलग्न करें।
17. आवेदन पत्र **पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही** स्वीकार किये जावेंगे। अतः आवेदक को आवेदन पत्र इस तरह प्रेषित करना चाहिए कि अंतिम तिथि **दिनांक 09/12/2011 को सायं 5.30 बजे तक** कार्यालयीन समय में जिला पंचायत, कलेक्टोरेट परिसर राजनांदगांव के कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। **इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा।**
18. नियोक्ता के साथ करार पत्र (**संविदा पत्र**) निष्पादित करना होगा ।
19. रिक्त पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है। किसी भी प्रकार के विवाद के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

कलेक्टर एवं,
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राजनांदगांव (छ.ग.)